

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना नवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :-वि0प्रा0/योजना-53/11

/रांची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।
प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू।
प्रभारी निदेशक,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो।

विषय :- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल **रु0 15,44,31,000/-** (रु0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-285 दिनांक-25.03.2026 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 04/योजना दिनांक 12.05.2026 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल **रु0 15,44,31,000/-** (रु0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति 'परिशिष्ट-क' के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि **रु0 85,00,00,000/-** (रु0 पचासी करोड़) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 2101 है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू होंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष अंकित करेंगे।



9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद/बोकारो/पलामू से की जायेगी।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
13. व्यय विवरणी, टी०भी०नं०, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-वि०प्रा०/योजना-53/11

/रांची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/बोकारो/पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-वि०प्रा०/योजना-53/11/10/अजट

/रांची, दिनांक- 20/07/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.7.26
सरकार के प्रधान सचिव।
Jaiman